भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2004

सं. 1—29/2004—बी एंड सीएस.— भारतीय दूरसंचार विनियामक अधिनियम, 1997 की धारा 2 के खण्ड (के) के प्रावधानों तथा धारा 11 की उपधारा (1) के उपखंड (डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा फाइल संख्या 13—1/2004— आरईएसटीजी से निर्गत दिनाँक 9.1.2004 की अधिसूचना संख्या 39 [सं. का. आ. 44 (अ) तथा 45 (अ)] के साथ पठित दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के पैरा (ii), (iii) तथा (iv) तथा, उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग कर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित आदे ा जारी करता है :

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :**

   (i) यह आदे ा दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (पहला सं ाोधन) (दूसरा) टैरिफ आदे ा, 2004 (2004 का क्रमांक 7) कहा जाएगा।

   (ii) यह आदे ा संपूर्ण भारत में लागू होगा।

   (iii) यह आदे ा सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।

2. दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदे ा, 2004 के खण्ड 3 के दूसरे प्रावधान में "इसके अलावा यदि कोई" भाब्दों के बाद "(प्रसारणकर्ता) ब्राडकास्टर अथवा" भाब्द जोड़े जाएंगे।

3. **व्याख्यात्मक ज्ञापन**

इस आदे ा के साथ इस आदे ा को जारी करने से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन भी दिया गया है।

राके ा कक्कड़, सलाहकार (बी एंड सी एस)

[विज्ञापन III/IV/असाधारण/142/04]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (पहला सं ोधन) (दूसरा) टैरिफ आदे ा, 2004 से मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा, केबल ऑपरेटरों के लिए दरों में कमी को खण्ड 3 के दूसरे प्रावधान में दिया गया है। ऐसा समझा जाता है कि प्रसारणकर्ता (ब्राडकास्टर) द्वारा सप्लाई किए जा रहे पे–चैनलों की संख्या में कमी होने पर या जब पे–चैनल, 'फ्री–टू–एयर' चैनल में बदल जाए तो उस स्थिति में भी उपरोक्त सिद्धांत लागू होना चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए यह सं ोधन जारी किया जा रहा है।